न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 195/19 **निर्णय दिनांकः–** 2-3-21
(जीसीएमएस संख्या 2019/00352)

1. बुद्धाराम पुत्र हड़मानराम | जाति कुम्हार निवासीगण कानासर ढाणी
2. पुष्पा देवी पत्नी बुद्धराम | जिला बीकानेर

जरिये मु.आम मनफूल सिंह पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल निवासी बज्जू तेजपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. श्रीमती परमेश्वरी पुत्री मोतीलाल जाति व्यास निवासी बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–05–2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 18–05–2018 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.12 14:40:50 IST
Reason: SelfAttested

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट सुना गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को दिनांक 20–11–2017 को चक 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 4/42 के किला नम्बर 1 ता 23 तादादी 23 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था तथा दिनांक 24–11–2017 को वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था। तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। कालान्तर में उक्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 40 दिनांक 15–01–2018 अपीलांट के नाम से स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 13–04–2018 को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी अपीलांट को प्रदान कर दिये गये थे। जिसका अंकन जमाबन्दी में भी किया जा चुका है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर तमाम अधिकार अपीलांट को प्राप्त हो चुके थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित/खातेदारी भूमि में से चक 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 4/42 के किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 10 बीघा भूमि का आवंटन वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति की जॉच किये बिना की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16–04–2018 की पालना में किया जाना अभिलिखित किया गया है। जबकि न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 16–04–2018 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था, भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। प्रकरण में जब उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट को आवंटित थी तो ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि आवंटन हेतु शुद्व रूप से उपलब्ध भूमि नहीं होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की आड़ में उक्त भूमि का आवंटन तमाम प्रकिया को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से अपीलांट्स के धारण की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। वादग्रस्त भूमि तमाम रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज भी रही है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त [illegible] बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से [illegible] गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.12 14:20:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये वादगत् भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट को कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने के मद्देनजर तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसका अदालत मातहत को कतई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट् को आवंटित व आक्यूपाईड लैण्ड थी। जिसका आवंटन किसी भी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को न्यायालय स्तर से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–05–2018 के विरूद्व अपील दिनांक 19–12–2019 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.12 14:20:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत् भूमि चक 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 4/42 की 10 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या को अपीलाधीन आदेश के माध्यम से किया गया है। को किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट को आवंटित होने के कारण वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

(3) अदालत मातहात द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवशेन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) के तहत न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16—04—2018 के अनुसरण में किया जाना अभिलिखित किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा उपरोक्त आदेश में अभिलिखित किया गया था कि भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं?

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट आवंटित की जा चुकी है तथा कालान्तर में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी अपीलांट को प्राप्त हो चुके थे तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् के अधिकार उत्पन्न हो चुके है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जा [illegible] था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.12 14:20:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(5) प्रकरण में वादग्रस्त भूमि जोकि अपीलांट् को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि होने से अपीलांट् की आक्यूपाईड लैण्ड है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्सयम ही इस तथ्य की जॉच कर ली जाती कि क्या वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियों से बचा जा सकता था। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य भलीभांति साबित है कि अदालत मातहत द्वारा आनन–फानन में पूर्व में अपीलांट को आवंटित भूमि का पुनः का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसे आदेश को कायम रखा जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–05–2018 अपीलांट के आवंटन चक 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 4/42 के किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 10 बीघा की हद तक निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 2-3-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.12 14:20:50 IST
Reason: SelfAttested